



Neutral Citation No. – 2026:AHC:65825

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या – 35201 वर्ष 2025

चंद्रपाल जैन एवं 3 अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....विपक्षीगण

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता

: सुनील कुमार

विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता

: जी.ए., शिवम मिश्रा

न्यायालय संख्या – 83

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम मिश्रा को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 (संक्षेप में बी.एन.एस.एस.) के अधीन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सत्र विचारण संख्या 138 वर्ष 2023, जो मुकदमा अपराध संख्या 385 वर्ष 2021, धारा 452, 504, 323, 506, 325, 308 भारतीय दंड संहिता, थाना जेवर, जनपद गौतम बुद्ध नगर से उत्पन्न हुआ है तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



3. वर्तमान आवेदन को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि विपक्षी संख्या 2 अजीत जैन ने वर्तमान आवेदकगण तथा दो अन्य नामित सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें यह कथन किया गया कि दिनांक 31.05.2021 को लगभग 02:00 बजे अपराह्न सभी चार अभियुक्तगण लोहे की रॉड, धारदार हथियार तथा फरसा से लैस होकर उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे तथा मारपीट की, जिससे स्वयं सूचनाकर्ता, कुसुम जैन, रक्षिता जैन एवं सुधीर जैन को गंभीर चोटें आईं। सुधीर जैन पर फरसे से हमला किया गया तथा सभी घायलों पर लोहे की रॉड से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। इसके पश्चात अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए तथा गाली-गलौज करते हुए वहां से चले गए।

4. उक्त सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और विवेचना के पश्चात अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 452, 504, 323, 506, 325, 308 भारतीय दंड संहिता के अधीन आरोप-पत्र दाखिल किया गया, जिस पर संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लेकर अभियुक्तगण को समन किया। चूंकि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, अतः विचारण हेतु इसे सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया।

5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इससे पूर्व राकेश कुमार जैन/आवेदक संख्या 2 ने महेंद्र जैन, जीतू जैन, सुधीर जैन, कुसुम जैन तथा वंशिका जैन के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो मुकदमा अपराध संख्या 384 वर्ष 2021, धारा 323, 427, 504, 506, 324, 325 भारतीय दंड संहिता, थाना जेवर, जनपद गौतम बुद्ध नगर में पंजीकृत हुई थी।

6. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि घायल सुधीर जैन की अनुपूरक चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार स्फेनॉइड अस्थि के दाहिने ग्रेटर विंग में बिना अस्थि-खंड के विस्थापन के रैखिक फ्रैक्चर पाया गया, घायल अजीत जैन को बाएं हाथ की पांचवीं मेटाकार्पल गर्दन में फ्रैक्चर तथा घायल कुसुम जैन को अल्ना शाफ्ट में

***“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”***



फ्रैक्चर हुआ। यह प्रस्तुत किया गया कि प्रथम चोट रिपोर्टों तथा अनुपूरक चोट रिपोर्टों के मध्य प्रथमदृष्टया पूर्ण असंगति है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यदि तीनों घायलों की अनुपूरक चोट रिपोर्टों को सही भी मान लिया जाए, तब भी आवेदकगण के विरुद्ध धारा 308 भारतीय दंड संहिता का अपराध नहीं बनता है और अधिकतम धारा 325 भारतीय दंड संहिता का अपराध बन सकता है।

7. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि किसी भी विशिष्ट अभियुक्त को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और उनके विरुद्ध सामान्य आरोप लगाए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि घायलों ने कहा है कि सुधीर कुमार जैन के सिर पर चोट आई थी, जबकि स्वयं उसने यह आरोप नहीं लगाया है कि उसके सिर पर कोई फ्रैक्चर हुआ था। किसी भी चिकित्सक ने यह राय नहीं दी है कि कोई चोट जीवन के लिए घातक थी।

8. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आरोप-पत्र लापरवाहीपूर्ण एवं अवैध तरीके से दाखिल किया गया है। आवेदकगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे दिनांक 25.04.2023 को उन्मोचन के आधारों पर विचार किए बिना निरस्त कर दिया गया तथा दिनांक 02.11.2023 को आरोप निर्धारित कर दिए गए। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक प्रति-मामला भी है और आज तक अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अंततः यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के विरुद्ध धारा 308 भारतीय दंड संहिता का अपराध नहीं बनता है।

9. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने उपर्युक्त प्रार्थना का जोरदार विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सही तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई है। आवेदकगण तथा अन्य नामित अभियुक्तगण ने कथित अपराध किया, जिसमें सूचनाकर्ता एवं अन्य व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं। घायलों तथा अन्य साक्षियों ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। सिर तथा शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर चोटें पहुंचाई गई हैं, अतः

***“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”***



आवेदकगण के विरुद्ध *प्रथमदृष्टया* धारा 308 भारतीय दंड संहिता का अपराध स्पष्ट रूप से बनता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोप पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं और मामला अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर है, अतः वर्तमान आवेदन में कोई बल नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही का समर्थन किया।

11. दोनों पक्षों की प्रस्तुतियों के दृष्टिगत तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के परिशीलन से यह विवादित नहीं है कि वर्तमान मामले में संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है और मामले को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किए जाने के पश्चात आवेदकगण ने उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे निरस्त कर दिया गया। यह भी विवादित नहीं है कि आवेदकगण के विरुद्ध आरोप निर्धारित किए जा चुके हैं और मामला अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के स्तर पर है। यह भी विवादित नहीं है कि मामला प्रति-मामले से संबंधित है और दोनों मामले सत्र न्यायालय के समक्ष निस्तारण हेतु लंबित हैं।

12. आवेदकगण की ओर से मुख्य तर्क यह है कि आवेदकगण के विरुद्ध धारा 308 भारतीय दंड संहिता के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि कथित चोटें ऐसी आपराधिक मानव वध करने के आशय से पहुंचाई गई थीं, जो हत्या की श्रेणी में नहीं आता। यह प्रस्तुत किया गया है कि तीनों घायलों, अर्थात् सुधीर कुमार जैन, अजीत जैन एवं कुसुम जैन को आई चोटें जीवन के लिए घातक नहीं थीं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सक ने यह राय नहीं दी है कि उक्त चोटें जीवन के लिए खतरनाक थीं।

13. इस संबंध में, तीनों घायलों की चोट रिपोर्टें तथा अनुपूरक चोट रिपोर्टें के परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि घायल सुधीर कुमार जैन के सिर पर अन्य चोटों के अतिरिक्त रैखिक फ्रैक्चर हुआ था। घायल अजीत जैन को पांचवीं मेटाकार्पल गर्दन में फ्रैक्चर तथा घायल कुसुम जैन को अन्य चोटों के अतिरिक्त अल्ना अस्थि में फ्रैक्चर हुआ था।

***“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”***



अभियोजन के मामले के अनुसार, घायलों पर लोहे की रॉड, धारदार हथियारों तथा फरसे से हमला किया गया था और प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि उन पर लोहे की रॉड, धारदार हथियार तथा फरसे से जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। प्रथम सूचनाकर्ता, घायलों तथा अन्य साक्षियों ने विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा अभिलिखित अपने कथनों में अभियोजन के मामले का समर्थन किया है।

14. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों के मूल्यांकन हेतु धारा 308 भारतीय दंड संहिता को उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नवत् है:

**धारा 308 भारतीय दंड संहिता – आपराधिक मानव वध करने का प्रयास**

“जो कोई ऐसा कोई कार्य इस आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित करता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा; और

यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित होती है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।”

15. धारा 299 भारतीय दंड संहिता “आपराधिक मानव वध” को परिभाषित करती है तथा धारा 300 भारतीय दंड संहिता “हत्या” को परिभाषित करती है और इन्हें उद्धृत करना प्रासंगिक होगा, जो निम्नवत् हैं:

**“299. आपराधिक मानव वध---**

जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना हो, या इस ज्ञान से कि उसके ऐसे कार्य से मृत्यु कारित होने की संभावना है, कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।”

**“300. हत्या।**

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उन मामलों को छोड़कर, जो इसके पश्चात अपवादित हैं, आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, या—

(दूसरा) — यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, जिसके संबंध में अपराधी यह जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होने की संभावना है, जिसे वह क्षति कारित की गई है, या—

(तीसरा) — यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और कारित की जाने वाली शारीरिक क्षति सामान्य प्रकृति में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, या—

(चौथा) — यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न रूप से खतरनाक है कि उससे, पूरी संभावना में, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति कारित होनी ही चाहिए जिससे मृत्यु कारित होने की संभावना है, और वह ऐसा कार्य बिना किसी बहाने के मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त प्रकार की क्षति कारित करने के जोखिम को उठाकर करता है।”

**अपवाद 1.—कब आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है।**

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, गंभीर और अचानक प्रकोपन द्वारा आत्म-संयम की शक्ति से वंचित होकर, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जिसने प्रकोपन दिया था या भूल या दुर्घटना से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है। उपर्युक्त अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अधीन है:—

(प्रथम) — कि प्रकोपन अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करने या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के बहाने के रूप में मांगा या स्वेच्छा से उत्पन्न नहीं किया गया था।

(द्वितीय) — कि प्रकोपन विधि के अनुपालन में किए गए किसी कार्य या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियों के प्रयोग में किए गए किसी कार्य से नहीं दिया गया था।

(तृतीय) — कि प्रकोपन विधिपूर्ण निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किए गए किसी कार्य से नहीं दिया गया था।

**स्पष्टीकरण** — क्या प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था कि अपराध को हत्या की श्रेणी में आने से रोक सके, यह तथ्य का प्रश्न है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



**अपवाद 2.**—आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, व्यक्ति या संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का सद्भावपूर्वक प्रयोग करते हुए, विधि द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का अतिक्रमण कर देता है और बिना पूर्वचिन्तन के तथा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक से अधिक क्षति कारित करने के किसी आशय के बिना, उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है जिसके विरुद्ध वह ऐसे प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा था।

**अपवाद 3.**—आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी लोक सेवक होते हुए या लोक न्याय की उन्नति के लिए कार्य करने वाले लोक सेवक की सहायता करते हुए, विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अतिक्रमण कर देता है और सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि उसका कार्य ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए विधिपूर्ण और आवश्यक है तथा जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है उसके प्रति किसी दुर्भावना के बिना, ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित करता है।

**अपवाद 4.**—आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह बिना पूर्वचिन्तन के, अचानक झगड़े के पश्चात अचानक लड़ाई में, आवेश की गर्मी में और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना अथवा क्रूर या असामान्य रीति से कार्य किए बिना किया गया हो।

**स्पष्टीकरण.**—ऐसे मामलों में यह महत्वहीन है कि कौन-सा पक्ष प्रकोपन देता है या पहला आक्रमण करता है।

**अपवाद 5.**—आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, जब जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित की गई है, जिसकी आयु अठारह वर्ष से अधिक है, अपनी सहमति से मृत्यु को स्वीकार करता है या मृत्यु का जोखिम उठाता है।

16. उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत, यदि हम भारतीय दंड संहिता की धारा 308 को देखें, तो इस धारा के अधीन अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व यह है कि ऐसा कार्य “आशय” या “ज्ञान” के साथ और ऐसी परिस्थितियों में किया गया हो कि यदि उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित होती, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता। भारतीय दंड संहिता की धारा 308 का प्रथम भाग, जहाँ कोई “उपहति”

**“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”**



कारित नहीं हुई है, कम दंड का प्रावधान करता है तथा उक्त धारा का द्वितीय भाग, जहाँ “उपहति” कारित हुई है, अधिक दंड का प्रावधान करता है। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत, यदि कोई उपहति कारित न भी हुई हो, तब भी भारतीय दंड संहिता की धारा 308 आकर्षित होगी।

17. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्क यह है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि आवेदकगण का हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का अपराध करने का कोई आशय था। यह भी तर्क दिया गया है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में किए गए कृत्य अथवा निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किए गए कृत्य के संबंध में सामान्य अपवाद उपलब्ध हैं। वर्तमान मामले में आवेदकगण के विरुद्ध यह आरोप है कि उन्होंने जान से मारने के आशय से घातक हथियारों से लैस होकर कृत्य किया तथा घायलों के महत्वपूर्ण अंगों पर चोटें कारित की गईं। अतः प्रथमदृष्टया आवेदकगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 308 के अधीन अपराध बनता है। चूंकि मामला प्रति-मामले से संबंधित है, इसलिए कौन-सा पक्ष आक्रामक था और किस पक्ष ने निजी प्रतिरक्षा में कार्य किया तथा क्या आवेदकगण ने गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में कार्य किया अथवा नहीं, ये सभी साक्ष्य के विषय हैं, जिनका निर्णय विचारण न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान साक्ष्य अभिलिखित किए जाने के पश्चात किया जाएगा।

18. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क विवादित तथ्यों से संबंधित हैं। ऐसे मुद्दों के लिए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यात्मक सामग्री का मूल्यांकन आवश्यक है। बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अधीन इस न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता का क्षेत्र सीमित है और इसका उद्देश्य इस प्रारंभिक स्तर पर विवादित तथ्यात्मक मामलों का निर्णय करना अथवा आरोपों की सत्यता निर्धारित करना नहीं है। ये ऐसे विषय हैं जो पूर्णतः विचारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और पक्षकारों द्वारा अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के पश्चात

***“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”***



इनकी जांच की जानी है। वर्तमान कार्यवाही में यह न्यायालय विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य की जांच अथवा उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना एक लघु विचारण करने के समान होगा, जो विधि में अनुमन्य नहीं है।

19. उपर्युक्त विवेचना के दृष्टिगत, विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई उचित आधार नहीं बनता है। अतः वर्तमान आवेदन गुणरहित है और तदनुसार **निरस्त** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

30 मार्च, 2026

सुभाष

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*